न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

उपस्थितः संजय सिंह-I

एच०जे०एस०

फौजदारी निगरानी संख्या 167 **सन्** 2026

शहजाद पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला थानावार्ड कस्बा व थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. खालिद कुरैशी पुत्र इनाम कुरैशी
3. खलील कुरैशी पुत्र इनाम कुरैशी

निवासीगण मौहल्ला चौहान बस्ती कस्बा व थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर

.....विपक्षीगण

निर्णय

01. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा 438/440 बी.एन.एस.एस 2023, न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी० बुलन्दशहर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 23 सन 2026 शहजाद बनाम खालिद, आदि अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रुप में दर्ज किया गया है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि रिवीजनकर्ता/आवेदक की बहन नरगीस को कथित रूप से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके संबंध में उसके द्वारा विधिक कार्यवाही की गई। इसी कारण विपक्षी खालिद एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदक तथा उसके परिवार से रंजिश रखे जाने का आरोप है। खालिद द्वारा इंस्टाग्राम एवं फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक एवं भड़काऊ वीडियो , जिसमें आवेदक के परिवार तथा सरकार के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियाँ तथा आवेदक के भाइयों के संबंध में झूठे एवं भ्रामक आरोप लगाये गये है, का वीडियों अपलोड किया गया। इसके संबंध में आवेदक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को अनेक प्रार्थना-पत्र दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2026 को खालिद एवं खलील द्वारा आवेदक को रोककर गाली-गलौज करने तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर आवेदक ने पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र दिया और अंततः विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा175(3) बी०एन०एस०एस० को विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज किया गया है।

03. निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.03.2026 विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है विचारण न्यायालय द्वारा उसमें विहित क्षेत्राधिकार का मनमाना प्रयोग करते हुये पारित किया गया है। इन्स्ट्राग्राम आई०डी० पर बनाई गई विडियो व स्क्रीन शॉट की पैनड्राइव विचारण न्यायालय में पेश की गई है जो पत्रावली पर मौजूद है। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा विवेचना किया जाना आवश्यक है। उक्त कथनों के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

04. विपक्षी संख्या 02 खालिद व विपक्षी संख्या 03 खलील कुरैशी की ओर से आपत्ति कागज संख्या 15 बी प्रस्तुत कर कथन किया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20.03.2026 विधि संगत है, जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। विपक्षी संख्या 02 पर

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.07.22 17:33:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगाये गए आरोप बेबुनियाद व रंजिशन है। कथित विडियों से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावना से कोई कथन किया जाना परिलक्षित नही होता है, बल्कि रिवीजनकर्ता की बहन नरगिस विपक्षी संख्या 03 की पत्नी है तथा विपक्षी संख्या 02 नरगीस का देवर है। रिवीजनकर्ता उक्त वैवाहिक सम्बन्धों में विपक्षीगण पर नाजायज दबाब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा गलत आधार पर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

05. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा तलबिदा पत्रावली सहित प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी० बुलन्दशहर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 23 सन 2026 शहजाद बनाम खालिद आदि अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रुप में दर्ज किया गया है।

07. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चन्द्र बाबू बनाम राज्य (2015) 8 एस.सी.सी. 774, संजय सिंह रामराव चवन बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के एवं अन्य (2015) 3 एस.सी.सी. 123, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एस.सी.सी. 762, सुशान्ता डे बनाम बबली मजूमदार ए. आई.आर 2019 एस.सी. 1661** तथा **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस.सी.सी. 460** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि–

"Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law and the jurisdiction u/s 397 CrPC is very limited one but Revisional court can interfere with the findings of fact of the lower court only when the same is perverse and the finding recorded by the lower court are based on no evidence, material evidence has been ignored or judicial discretion has been exercised arbitrarily or perversely. It has also been held that matter Should not be remanded to the lower court when sufficient material for deciding the case finally is already there before the revisional/ appeallate court.

09. विचारण न्यायालय की पत्रावली तथा उक्त पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में कथन किया है कि अभियुक्त खालिद द्वारा इंस्टाग्राम एवं फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक एवं भड़काऊ वीडियो, जिसमें आवेदक के परिवार तथा सरकार के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियाँ तथा आवेदक के भाइयों के संबंध में झूठे एवं भ्रामक आरोप लगाये गये है, का वीडियों अपलोड किया गया। इससे स्पष्ट है कि परिवादी को उक्त घटना का व्यक्तिगत ज्ञान है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर अपलोड कथित वीडियो, उनके स्क्रीनशॉट तथा पेन ड्राइव भी स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं और किसी अन्य तथ्य के प्रकट होने की कोई सम्भावना प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में किसी तथ्य विशेष के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण पुलिस स्तर से कराया जाना शेष नही है।

10. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Lal Ji Prajapati vs State Of U.P. And Another on 10 January, 2025** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

12. The issue whether the Magistrate is bound to pass an order for registration of the FIR and its investigation by the police on each and every application under *section 156 (3)* Cr.P.C. containing allegation of commission of a cognizance offence is no more 'res-integra', as this controversy has been settled by the Division Bench of the Court in the case of **Sukhwasi vs. State of U.P. 2007 (59) ACC 739.** After considering the full Bench decision of the Court in the case of Ram Babu Gupta & others vs. State of U.P. 2001 (43) ACC 50 and many other cases, the Division Bench in the case of **Sukhwasi vs. State of U.P.** (supra) has answered the question referred to it, in paragraph 23 of the judgment as under:-

> "The reference is, therefore, answered in the manner that it is not incumbent upon a Magistrate to allow an application under section 156(3) Cr.P.C. and there is no such legal mandate. He may or may not allow the application in his discretion. The second leg of the reference is also answered in the manner that the Magistrate has a discretion to treat an application under section 156(3) Cr.P.C. as a complaint."

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में अग्रेतर यह भी प्रतिपादित किया है कि-13. Thus, it is apparent that Magistrate is not bound to pass order of investigation by police, even if such application discloses cognizable offence. The Magistrate is required to apply its mind to find out whether the first information sought to be lodged by applicant had any substance or not. Even in the cases, where prima facie cognizable offence is disclosed from the averments made in the application under section 156 (3) Cr.P.C. in appropriate case according to facts and nature of the offences alleged to have been committed, the Magistrate can decline to direct investigation and in such cases the application under section 156(3) Cr.P.C. can be treated as complaint.

11. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था, उपरोक्त चर्चा तथा पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय का यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का भली भांति परिशीलन करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। तदनुसार निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या 167 सन 2026 शहजाद आदि बनाम उ०प्र० राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी० बुलन्दशहर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 23 सन 2026 शहजाद बनाम खालिद आदि में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 की पुष्ट किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजी जाए।

(संजय सिंह–I)
दिनॉक 20.07.2026, सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय सिंह–I)
दिनॉक 20.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

Shubham- Steno आई०डी० कमांक–यू०पी०–2015